



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1464 वर्ष 2026

जितेन्द्र कुमार तिवारी तथा 6 अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : संजय दूबे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं० 1 तथा 2 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं० 3 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्राइवेट प्रत्यर्थीगण को नोटिसों को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा किया गया एक मात्र अनुरोध निर्धारित अवधि में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अन्तर्गत अपील सं० 233 वर्ष 2025 (कम्प्यूटर मामला सं० सी20502000000233)(जितेन्द्र कुमार तिवारी बनाम ग्राम सभा तथा अन्य) का विनिश्चय करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 2 आयुक्त (प्रशासन), प्रयागराज मण्डल प्रयागराज को निदेश देने के संबंध में है।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
5. पक्षकारों के अधिवक्तागण के सहमति से, प्रत्यर्थी सं०- 2 आयुक्त (प्रशासन) प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज को शीघ्रता से तथा अधिमानतः इस आदेश के प्रमाणित प्रति को पेश किये जाने की तिथि से तीन माह के अवधि के अन्दर पूर्वोक्त अपील का विनिश्चय करने का निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका को अंततः निपटाया जाता है, जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"